

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/701

26/11/2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

संदर्भ: डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना संख्या 32/2025-26 दिनांक 20 नवंबर 2025।

विषय: प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के पैरा 2.08 में संशोधन के संबंध में।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि डीजीएफटी ने प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के पैरा 2.08 में तत्काल प्रभाव से संशोधन के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।

कृपया ध्यान दें कि पैरा 2.08 में आईईसी के लिए आवेदन करने, उसे जमा करने, सत्यापित करने और बनाए रखने के नियमों और आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है।

एचबीपी 2023 के पैरा 2.08 (सी) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

पैरा नं	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2.08 (सी)	आवेदक को आईईसी आवेदन के साथ ऑनलाइन विवरण/दस्तावेज (स्कैन की गई प्रतियां अपलोड की जानी हैं) प्रस्तुत करना आवश्यक है;	आईईसी आवेदन में प्रस्तुत विवरणों को, जहाँ भी संभव हो, संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/बैंकों द्वारा रखे गए अभिलेखों के साथ ऑनलाइन एकीकरण के माध्यम से मान्य किया जाएगा। इसके अलावा, आवेदक को निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज (स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड की जाएँगी) प्रस्तुत करने होंगे, जब तक कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान सिस्टम द्वारा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
2.08 (डी)	दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी ऑनलाइन आईईसी का सत्यापन करेंगे।	ऑनलाइन आईईसी के सत्यापन के बाद के संचालन के लिए दिशानिर्देश समय-समय पर डीजीएफटी मुख्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

एचबीपी 2023 के पैरा 2.08(सी) (i) और 2.08(सी) (ii) अपरिवर्तित रहेंगे।

ANF-1A को संशोधित ANF-2A में मिला दिया गया है। तदनुसार, ANF-1A को हटा दिया गया है और ANF-2A को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया गया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे विस्तृत सार्वजनिक सूचना यहां देखें:

[20251126121857.पीडीएफ](#)

यह आपकी जानकारी के लिए है

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल